(215)

न्यायालय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

रिवीजन क्र. अ–6 अ/11–12 R-3581-I/12

मोहन वल्द फागू पटेल
निवासी ग्राम–कछपुरा तह0 सिहोरा
जिला–जबलपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
10 OCT 2012

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. सुशील कुमार बल्द रामकुमार पालीवाल निवासी घोराकोनी तह0 सिहोरा जिला–जबलपुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

(175)

रिवीजन धारा 50 भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत

आवेदक श्रीमान् तहसीलदार महोदय सिहोरा के प्रकाशन क्रमांक 3 अ–6 अ/वर्ष 2011–12 आदेश दिनांक 09/08/12 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर रिवीजन पेश करता है। रिवीजन समय सीमा में पेश है।

11-10-12

कलेक्टर जबलपुर के न्यायालय में गलती से पेश होने में अब इस न्यायलय में पेश है। 5.10.12

रिवीजन के तथ्य

1. यह कि ग्राम कछपुरा प0ह0नं0 50/78 तह0 सिहोरा जिला–जबलपुर का खसरा नं0 12 रकवा 0.07 और खसरा नं. 14/1 रकवा 0.02 आवेदक के नाम था। जिसके बदोबस्त में नया नम्बर खसरा नं0 74 एवं 75 बनाया गया है। खसरा नं. 12 के नये खसरा नं0 74 में रकवा कम हो गया है। एवं खसरा नं0 14/1 नये खसरा नं0 75 की नक्शे में आकृति गलत अंकित हो गई है।
2. यह कि आवेदक ने नक्शा दुरस्ती का आवेदन श्रीमान् कलेक्टर महोदय के यहां पेश किया था। जिसमें कलेक्टर महोदय ने इस न्यायायल से प्रतिवेदन बुलाने के बाद अंतिम निर्णय करने के निर्देश दिये थे।

   श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय ने नक्शा एवं रकवा दुरूस्त करने के लिये अपने आदेश में तहसील न्यायालय को अधिकृत किया है। अतः अधिकृत किये जाने के कारण इस न्यायालय को नक्शा एवं रकवा सुधार करने का अधिकार क्षेत्र है। कृपया देखे (धारा 121 नियम 3 भू0राज0 संहिता)
3. यह कि पुराना खसरा नं0 12 रकवा 0.073 याने 0.07 हे0 था जिसका नया नम्बर 74 बना । खसरा नं. 74 दो भाग में बट गया, 74/1 रकवा 0.04 हे0 मोहनलाल के नाम पर तथा 74/2 रकवा 0.02 हे0 सुशील पालीवाल के नाम दर्ज हुए दोनों के बीच रकवा का कोई विवाद नहीं है।

पृष्ठ (2)

R. 3581-I/12

27.7.16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अना.2 की ओर से श्री [illegible] उपस्थित। [illegible] आवेदक की ओर से पूर्व में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, प्रकरण आवेदक के अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पश्चात सूचित हो। अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जावे।
Rb	(हस्ताक्षर) सदस्य

(हस्ताक्षर) 27/7/16 (counsel for non applicant)

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.